कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग बुलन्दशहर

पत्रांक 3974/14, दिनांक, 02/6/ 2016

सेवा में,

परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
पी0आई0यू0, 3सी/446 बुद्ध विहार
(स्प्रिंग फील्ड कालेज के पीछे) दिल्ली रोड
मुरादाबाद।

विषय– **लो0नि0वि0 को अलीगढ–मुरादाबाद सेक्शन(एन0एच0–93) के चौडीकरण किये जाने हेतु अलीगढ में किमी0 85.700 से 100.372 तक 7.4226 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी व 250 वृक्षों के पातन बुलंदशहर में किमी 126.00 से 133.860 तक 3.5760 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी व 61 वृक्षों के पातन, सम्भल में किमी0 142.220 से 205.00 तक 32.7792 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी व 3777 के वृक्षों के पातन तथा मुरादाबाद में किमी0 205.00 से 232.00 तक 14.4852 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी व 454 वृक्षों के पातन कुल 58.2630 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 4542 वृक्षों के पातन की अनुमति।**

संदर्भ– **मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी लखनऊ का पत्रांक 2456/ दि0 20.05.16**

महोदय,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी लखनऊ के पत्र संख्या 2456/ अलीगढ–मुराबादाबाद मार्ग दिनांक 20.05.2016 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करें जिसमें मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी लखनऊ ने प्रस्ताव में कमियॉ होने के कारण कुछ सूचनाएं/ अभिलेख पूर्ण कराने हेतु लिखा है।

अतः आप पत्र में दर्शायी गयी कमियों को पूर्ण करने का कष्ट करें ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
बुलन्दशहर

पत्रांक / दिनांकित।

प्रतिलिपि वन संरक्षक, मेरठ वृत्त मेरठ को संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी, सिकन्द्राबाद को संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि आप पत्र में दर्शायी गयी कमियों को पूर्ण कर इस कार्यालय को अवगत करायें।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
बुलन्दशहर

760/steno letter-